

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ६८] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च २६, १९७३/चैत्र ५, १८९५

No. 68] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 26, 1973/CHAITRA 5, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE
PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 26th March, 1973

SUBJECT.—*Export of cotton yarn to all destinations.*

No. 11-ETC(PN)/73.—Export of cotton yarn to all destinations has been brought under control with immediate effect vide Exports (Control) Fourth Amendment Order, 1973, published in the Gazette of India Extraordinary, dated the 26th March, 1973.

2. It has been decided by the Ministry of Commerce that:—

(i) Shipments of cotton yarn to all destinations against the contracts already entered into shall not be allowed up to the 1st July, 1973, except for the consignments of cotton yarn already cleared from mills and packed for export after inspection by the Textiles Committee;

(ii) No fresh contracts contemplating shipments of cotton yarn before 1st September, 1973 shall be entered into by the Trade; and

(iii) All fresh contracts for export of cotton yarn shall require registration with and specific approval of the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay.

3. Public Notice No. PN(Austria Licensing)/1 of 1972, dated 23rd September, 1972 and Public Notice No. 1-ETC(PN)/73 dated 1st January, 1973 stand modified to the above extent in so far export of cotton yarn to Austria and U.K. is concerned.

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1973

विषय.—सभी गन्तव्य स्थानों को सूती धागे का निर्यात ।

संख्या : 11-ई० टी० सी० (पी० एन०)/73.—सभी गन्तव्य स्थानों के लिए सूती धागे के निर्यात को शीघ्र ही नियंत्रण के अन्तर्गत लाया गया है—देखिए भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 26 मार्च, 1973 में प्रकाशित निर्यात (नियंत्रण) चतुर्थ संशोधन आदेश, 1973 ।

2. वाणिज्य मंत्रालय द्वारा यह निश्चय किया गया है कि :—

- (1) मिल से जिन सूती धागे के परेषण की निकासी पहले ही हो चुकी है तथा सूती वस्त्र समिति द्वारा जांच के पश्चात् निर्यात के लिए बंडल बांध दिया गया है, उनको छोड़कर पहले ही की गई संविदाओं के मद्दे सभी गन्तव्य स्थानों के लिए सूती धागे के पोतलदान की स्वीकृति 1 जुलाई, 1973 तक नहीं दी जाएगी ;
- (2) 1 सितम्बर, 1973 से पहले सूती धागे के पोतलदानों की नई संविदाओं की प्रतीक्षा किए बिना व्यापारी द्वारा संविदायें की जायेंगी ; और
- (3) सूती धागे के निर्यात के लिए सभी संविदाओं को पंजीकृत कराना तथा सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई का विशेष अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा ।

3. सार्वजनिक सूचना संख्या: 1-ईटीसी (पीएन)/72, दिनांक 23-9-72 तथा सार्वजनिक सूचना संख्या : 1-ईटीसी (पीएन)/73, दिनांक 1-1-73 का जो उपर्युक्त सीमा तक आशोधन किया गया है वह अब तक आस्ट्रेलिया तथा यू० के० के लिए सूती धागे के निर्यात से संबंधित है ।

एस० जी० बोस मल्लिक,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।